न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :— विविध प्रकारण संख्या 892/2018

1. मोहनलाल पुत्र श्री ईसरराम जाति नायक निवासी चक 4 जी बड़ी, वी पी ओ कालियां, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. मंगलराम पुत्र श्री चन्दूराम जाति नायक निवासी चक 4 जी बड़ी, वी पी ओ कालियां, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. पृथ्वीराम पुत्र श्री आशा राम जाति नायक निवासी चक 4 जी बड़ी, वी पी ओ कालियां, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. रूपराम पुत्र श्री आशाराम जाति नायक निवासी चक 4 जी बड़ी, वी पी ओ कालियां, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. श्याम सुन्दर पुत्र श्री रामस्वरूप जाति नायक निवासी चक 4 जी बड़ी, वी पी ओ कालियां, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— — प्रार्थीगण

—:: बनाम ::—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर
2. नन्दलाल पुत्र श्री हासुराम जाति अरोडा निवासी चक 4 जी बडी वीपीओ कालियां हाल निवासी कृष्णा मन्दिर के पास पुरानी आबादी श्रीगंगानगर

— — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत :— अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री बाबूलाल डुडी अधिवक्ता — — प्रार्थी संख्या 1ता 5
2. श्री नरेश गाबा अधिवक्ता — — अप्रार्थी संख्या 2
3. पैरोकार राज — — अप्रार्थी संख्या 1

—:: आदेश ::— दिनांक :—29.07.2019

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के परिवार की चक 4 जी बडी खाता संख्या

यादियां पिसरान श्री गंगाराम के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीगण का परिवार खेती करता है व वहां पर अपनी ढाणियां बनाकर अपने परिवार सहित निवास करता है।

प्रार्थीगण परिवार सहित कई वर्षों से उक्त ढाणियों में निवास करते आ रहे हैं। मुरब्बा नम्बर 51 में बनी ढाणियों में पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 43 व 48 से होकर 16.5 फीट का रास्ता आता था, मुरब्बा नम्बर 43 जो कि बिश्नोई परिवार की है, उक्त रास्ता में कोई विवाद नहीं है, लेकिन मुरब्बा नम्बर 48 जो कि हासुराम पुत्र श्री सुहारा राम, जाति अरोडा, निवासी कालियां खाता संख्या 72 पुराना खाता संख्या 77 नया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। हासुराम की मृत्यु हो चुकी है। हासुराम क मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसान स्व. श्री मोहन लाल, श्री नंदराम, श्री सुभाष, श्री भगवान दास व अन्य है तथा वर्तमान में श्री नंदराम पुत्र श्री हासुराम उक्त भूमि पर काश्त कर रहा है। जिसके द्वारा वर्षों से चल रहे आवागमन के रास्ते (मु.नं. 48 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21) को बंद कर दिया है, जिससे प्रार्थीगण को अपने जाने में बाधा उत्पन्न हुई है और प्रार्थीगण के बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी परेशानी उठानी पड रही है, वर्तमान में प्रार्थीगण व उनका परिवार सरकारी खाले में से होकर अपनी ढाणियों व खेतों में पहुंच पा रहे हैं, जब खाले में पानी आता है तो बच्चों व परिवार के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी उठानी पडती है। प्रार्थीगण मुरब्बा नम्बर 48 के बंद हुए रास्ता को खुलवाना चाहते हैं ताकि अपने खेतों व ढाणियों में निर्बाध रूपसे आ जा सके।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 4 जी बडी वी पी ओ कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर (1, 10, 11, 20, 21) में से मुरब्बा नम्बर 51 यानी प्रार्थीगण के खेतों व ढाणियों के जाने वाला रास्ता 16.5 खुलवाया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 को प्रार्थना पत्र के जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये किन्तु जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर दिनांक 23.02.2018 को जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन के पश्चात् विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी जाकर अप्रार्थी द्वारा भूमि के बदले भूमि दिये जाने बाबत सहमति जताये जाने पर आपसी सहमति के अधार पर प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना न्यायोचित पाये जाने पर दिनांक 27.02.2018 को प्रार्थीगण को गैरमुमकिलन रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु स्वीकृत किया गया। दिनांक 27.11.2018 को अप्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के पत्रांक 601 दिनांक 16.11.2018 के संलग्न अपील संख्या 39/2018 में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2018 इस निर्देश के साथ रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ कि दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण करवा कर पक्षकारों को सुन कर राजीनामा अनुसार निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली को पुनः दर्ज

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष को सूचित किया गया। दिनांक 29.07.2019 को दोनों पक्षों के पक्षकारों द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार प्रार्थीगण का रास्ता स्वीकृत किया जावे तो अप्रार्थी एवं प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। पक्षकरों के मध्य आपसी सहमति होने पर पक्षकरों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार प्रार्थीगण को चक 4 जी बडी तह0 श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से दिनांक 27.02.2018 को पारित आदेश के अनुसार दो दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत के स्थान पर प्रार्थीगण को चक 4 जी बडी तह0 श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से 12 फीट गैरमुमकीन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थीगण प्रार्थी इसके बदले अपनी खातेदारी भूमि मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 1 व 2 में 10 बिस्वा भूमि को मुआवजा के रूप में अप्रार्थी को देगा। गैरमुमकिन रास्ता सार्वजजिक उपयोग हेतु रहेगा।

तहसीलदार श्रीगंगानगर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करे एंवम रास्ते के मुआवजा स्वरूप प्रार्थी की भूमि में से 10 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के खाते में अंकन करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर (राज.)